ऑन लाईन नं. RCMS2018/00097

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 40/2018

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. राजकुमार पुत्र श्री हसंराज बलाना निवासी वार्ड नम्बर 02, नजदीक गुरूद्वारा गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर
2. मै0 राजू स्वीट हाउस, बस स्टेण्ड के पास, गजसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(2)/51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय **दिनांक : 16.07.2018**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.07.2017 को दोपहर बाद 1.00 बजे वास्ते निरीक्षण फर्म मै0 राजू स्वीट हाउस, बस स्टेण्ड के पास, गजसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर पहुंचा। वहां पर राजकुमार श्री हंसराज बलाना उपस्थित मिला। उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म पर राजकुमार पुत्र श्री हसंराज बलाना निवासी वार्ड नम्बर 02, नजदीक गुरूद्वारा गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को पनीर विक्रय कर रहे था।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ पनीर के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की तो स्वीट हाउस के डीपफ्रिज में पनीर आम जन के विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें से 1किलाग्राम पनीर जांच के लिए खरीद की, पनीर की कीमत 240/–रू (अखरे रूपये दौ सौ चालीस मात्र) अदा की एवं खरीदी रसीद तैयार की, तथा उपस्थित गवाहान श्री राजेश कुमार एवं श्री पुरूषोत्तम वधवा के हस्ताक्षर करवाये। फार्म

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) (राज.)

संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता श्री राजकुमार एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा पनीर को एक रूप करके एवं उचित मात्रा में परिरक्षक को मिलाकर बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक की बोतलों में भरकर कंसकर ढक्कन बन्द किये एवं गोंद से चिपकाकर लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप के–796 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/1666/एक्ट/2017/1737 दिनांक 10.08.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–796 पनीर **अमानक स्तर** (Substandard) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त राजकुमार पुत्र श्री हसंराज बलाना निवासी वार्ड नम्बर 02, नजदीक गुरूद्वारा गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर पनीर का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(2)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 07.05.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–796 लेते समय फार्म नम्बर 5ए में खाद्य विक्रेता के पास कितनी मात्रा में पनीर विक्रय हेतु रखा था का कोई ब्योरा नहीं दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेते समय जो खरीद रसीद/कैश मीमो की प्रति प्रस्तुत की है वह खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मुद्रित व हस्तलिखित रसीद है, जबकि एफबीओ द्वारा अपनी फर्म के नाम से मुद्रित बिल/कैश मीमो अपनी स्वयं की हस्तलिखित जारी की जाती है कोई भी एफबीओ अपनी फर्म के बिल/केश मीमो को ग्राहक को जारी नहीं करने देता है। यह बिल कारोबार कर्ता द्वारा ही हस्तलिखित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो पनीर का

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नमूनीकरण किया गया है वह फर्द रिपोर्ट के अनुसार डीप फ्रिज में रखा होना बताया गया है जिससे डीप फ्रिज में रखें गये पनीर में मास्चर (नमी) की मात्रा सामान्य से अधिक पाई जावेगी जिससे पनीर में नमी सामान्य से अधिक होगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को गवाही के उदेश्य से माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने व जिरह हेतु उपस्थित होने के ओदश फरमाये जावे जो कि न्यायहित के लिए आवश्यक है। यह कि माननीयय दिल्ली उच्च न्यायालय, के आदेश दिनांक 10.12.2013 FAC 264, 2014[1] व एक अन्य वाद सख्या 172/2006 में आदेश दिनांक 12 मार्च 2014 FAC 207, 2014[1] में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम एफएसओ द्वारा नमूनीकरण के दौरान नमूनीकरण विधि अनुसार नहीं किया गया है। नमूनीकरण के दौरान नमूने को एक रूपता नहीं दी जा सकी जिससे वाद खारिज किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त सम्बन्धित वाद में भी एफएसओ द्वारा नमूनीकरण का कार्य सही ढंग से एफएसएसए के नियमानुसार नहीं किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि एफएसएसए के तहत खाद्य नमूना सख्या के–796 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है जांच रिपोर्ट के अनुसार एफ.एस.एस.एक्ट 2006 की धारा–3 (1)(zx) के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वस्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है। जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। अतः वाद निरस्त फरमाया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया पनीर का सैम्पल के–796 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/ 1666/एक्ट/2017/1737 दिनांक 10.08.2017 द्वारा (Substandard) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा **2(2)/51** के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–796 लेते समय फार्म नम्बर 5ए में खाद्य विक्रेता के पास कितनी मात्रा में पनीर विक्रय हेतु रखा था का कोई ब्योरा नहीं दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेते समय जो खरीद रसीद/कैश मीमो की प्रति प्रस्तुत की है वह खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मुद्रित व हस्तलिखित रसीद है, जबकि एफबीओ द्वारा अपनी फर्म के नाम से मुद्रित बिल/कैश मीमो अपनी स्वयं की हस्तलिखित जारी की जाती है कोई भी एफबीओ अपनी फर्म के बिल/केश मीमो को ग्राहक को जारी नहीं करने देता है। यह बिल कारोबार कर्ता द्वारा ही हस्तलिखित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो पनीर का नमूनीकरण किया गया है वह फर्द रिपोर्ट के अनुसार डीप फ्रिज में रखा होना बताया गया है जिससे डीप फ्रिज में रखें गये पनीर में मास्चर (नमी) की मात्रा सामान्य से अधिक पाई जावेगी जिससे पनीर में नमी सामान्य से अधिक होगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को गवाही के उदेश्य से माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने व जिरह हेतु उपस्थित होने के ओदश फरमाये

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जावे जो कि न्यायहित के लिए आवश्यक है। यह कि माननीयय दिल्ली उच्च न्यायालय, के आदेश दिनांक 10.12.2013 FAC 264, 2014[1] व एक अन्य वाद सख्या 172/2006 में आदेश दिनांक 12 मार्च 2014 FAC 207, 2014[1] में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम एफएसओ द्वारा नमूनीकरण के दौरान नमूनीकरण विधि अनुसार नहीं किया गया है। नमूनीकरण के दौरान नमूने को एक रूपता नहीं दी जा सकी जिससे वाद खारिज किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त सम्बन्धित वाद में भी एफएसओ द्वारा नमूनीकरण का कार्य सही ढंग से एफएसएसए के नियमानुसार नहीं किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि एफएसएसए के तहत खाद्य नमूना सख्या के–796 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है जांच रिपोर्ट के अनुसार एफ.एस.एस.एक्ट 2006 की धारा–3 (1)(ZX) के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वस्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है। जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। अतः वाद निरस्त फरमाया जावें।

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 49 के प्रकाश में, यह मानते हुए,अभियुक्त राजकुमार द्वारा (Substandard) पनीर विक्रय किया गया है। अतः अभियुक्त राजकुमार पर (Substandard) पनीर विक्रय करने पर धारा 51 के तहत शास्त्रि 12000/–रूपये (अखरे रूपये बारह हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त पनीर का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में पनीर के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर